बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

सं0–10 / निजी–01–1068 / 26– पटना / दिनांक–

श्रीमती पायल कुमारी (आई०डी०–5772), सहायक अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा को उनके द्वितीय जीवित संतान हेतु दिनांक–28.10.2026 से दिनांक–25.04.2027 तक कुल–180 (एक सौ अस्सी) दिनों के अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम–220 "ख", वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या–640 दिनांक–19.01.2015 एवं पत्रांक–2555 दिनांक–29.03.2016 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1195(21) दिनांक–20.07.2026 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता के आलोक में उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्रीमती कुमारी के अवकाश लेखा में शेष–00 (शून्य) दिनों का मातृत्व अवकाश आदेय है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –
(सरफराज अहमद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक–10 / निजी–01–1068 / 26– पटना / दिनांक–

प्रतिलिपि –प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–PCFC/IRR/BES/2022/1830-1195(21) दिनांक–20.07.2026 एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना के पत्रांक–1215 दिनांक–25.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक–10 / निजी–01–1068 / 26– पटना / दिनांक–

प्रतिलिपि –मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक–10 / निजी–01–1068 / 26– पटना / दिनांक–

प्रतिलिपि –अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–PCFC/IRR/BES/2022/1830-1195(21) दिनांक–20.07.2026 संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–3186 दिनांक–14.08.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0:–यथोक्त्।

ह० / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक–10 / निजी–01–1068 / 26– पटना / दिनांक–

प्रतिलिपि – श्रीमती पायल कुमारी (आई०डी०–5772), सहायक अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक–10/निजी–01–1068/26– 4459 पटना/दिनांक– 06/10/2026

प्रतिलिपि –कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैद्यिकी केन्द्र, पटना को संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06/10/26

अवर सचिव (प्रबंधन)।